सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **139/2017** दायर दिनाँक **25.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र दानाराम, जाति–जाट, उम्र–41साल, निवासी–आसपुरा, तहसील–कुचामनसिटी, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मेघाराम कड़वा पुत्र गीधाराम, जाति–जाट, उम्र–60साल, निवासी–दाउदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गंगासिंह पुत्र भगवानसिंह, 2. प्रहलादसिंह पुत्र भगवानसिंह, 3. जगदीशसिंह पुत्र भगवानसिंह, 4. गोकलसिंह पुत्र भगवानसिंह, 5. मंगलसिंह पुत्र बोदुसिंह, 6. नरेन्द्रसिंह उर्फ पूर्णसिंह पुत्र भँवरसिंह, 7. सिरेकँवर पत्नी बोदूसिंह, 8. सरीतादेवी पत्नी घासीराम, जाति–जाट, समस्त,निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. मुरादखाँ पुत्र सलीमखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. रामसिंह पुत्र नन्दसिंह, 11. श्रवणसिंह पुत्र नन्दसिंह, 12. उच्छबकँवर पत्नी नन्दसिंह, 13. धनसिंह पुत्र श्यामसिंह जरिये कुदरती वलिया माता संजूकँवर पत्नी श्यामसिंह, 14. सन्जुकँवर पत्नी श्यामसिंह, 15. खड़सिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, 16. शिम्भुसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, 17. केशरसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, 18. नथुकँवर पत्नी हनुवन्तसिंह, 19. नन्दुकँवर पुत्री हनुवन्तसिंह, 20. मदनसिंह पुत्र मूलसिंह, 21. सदाकँवर पत्नी हरिसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 139/2017
दायर दिनाँक 25.05.2017, निर्णय दिनाँक 24.01.2018
रामनिवास बनाम् गंगासिंह, वगैरा।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा, वकील, वादीगण।
2. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 265 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 309 रकबा 52 बीघा कुल रकबा 67.07 बीघा वर्तमान वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल पेश है।

बजरंगलाल पुत्र घासीराम ने उपर्युक्त भूमि में से अपनी सम्भावित हिस्से की 1/12 हिस्सा अर्थात् रकबा 05.11 बीघा को जरिये रजिस्ट्री वादीगण को दिनाँक 05.04.22017 बैचाण कर दिया व मौके पर कब्जा सम्भला दिया व विक्रय–पत्र के अनुसार खातेदारी दर्ज हो गयी।

वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा वर्षों पूर्व हो गया है व इसी अनुसार पक्षकारान् काबिज काश्त है। नजरीनक्शा पेश है। वादीगण की क्रयसुदा भूमि रकबा 05.11 बीघा भूमि सड़क के चिपते ही उत्तर दिशा में आई हुई है। उक्त भूमि का कानूनी बन्टवारा नहीं होने से वाद पेश है।

वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि का प्रतिवादीगण ने अगर बैचाण कर दिया तो वादीगण को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए दावा बाबत् निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

बन्टवारा दावा में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है इसलिए वाद से पूर्व दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु इस वाद में राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए दो माह की अवधि का नोटिस न देकर पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी देने के बाद वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी लेने पर वाद हैतुक पैदा हुआ है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 139/2017
दायर दिनाँक 25.05.2017, निर्णय दिनाँक 24.01.2018
रामनिवास बनाम् गंगासिंह, वगैरा।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 265 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 309 रकबा 52 बीघा कुल रकबा 67.07 बीघा का कानूनी रूप से बन्टवारा किया जाकर वाद वर्णितानुसार व नजरीनक्शा में दर्शाए अनुसार किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण द्वारा पेश वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 को वास्ते हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 20 मदनसिंह की ओर से आदेश 09 नियम 13 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र दिनाँक 08.01.2018 को न्यायालय में पेश किया गया।

वाद के साथ वादीगण ने, वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा में सम्वत् 2072–2075 में खेवट संख्या 166/160 खसरा नम्बर 265 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा में सम्वत् 2072–2075 में खेवट संख्या 183/174 खसरा नम्बर 309 व 309/1 की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय–पत्र की छायाप्रति तथा वकुलाय पक्षकारान् द्वार पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ", पेश है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 20 मदनसिंह, ने नजरीनक्शा अनुसूची "अ" पेश कर इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवदेन किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा पेश नजरीनक्शा अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर वकील वादीगण सहमत है तथा इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर अपनी सहमति जाहिर करते है। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वकील प्रतिवादी द्वारा पेश नजरीनक्शा अनुसार दावा डिक्री किया जाने में सभी पक्षकारान् सहमत हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा पेश

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

नजरीनक्शा जिस पर वकील वादीगण भी सहमत हैं, के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, वकील प्रतिवादी संख्या 20 मदनसिंह द्वारा पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जिस पर वकील वादीगण भी सहमत हैं, के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर मौजा डाबड़ा के खेत खसरा संख्या 265 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 309 रकबा 52 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार भूमि का पक्षकारान् को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **24.01.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर)
डीडवाना

दिनांक :- 15/3/18

नोट :- खसरा नं. 309/1 रकबा 08 बिस्वा खसरा नं. 265 व 309 से नाथ पड़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **139/2017** दायर दिनाँक **25.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र दानाराम, जाति—जाट, उम्र—41साल, निवासी—आसपुरा, तहसील—कुचामनसिटी, जिला—नागौर, राजस्थान, **2.** मेघाराम कड़वा पुत्र गीधाराम, जाति—जाट, उम्र—60साल, निवासी—दाउदसर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	**1.** गंगासिंह पुत्र भगवानसिंह, **2.** प्रहलादसिंह पुत्र भगवानसिंह, **3.** जगदीशसिंह पुत्र भगवानसिंह, **4.** गोकलसिंह पुत्र भगवानसिंह, **5.** मंगलसिंह पुत्र बोदुसिंह, **6.** नरेन्द्रसिंह उर्फ पूर्णसिंह पुत्र भँवरसिंह, **7.** सिरेकँवर पत्नी बोदूसिंह, **8.** सरीतादेवी पत्नी घासीराम, जाति—जाट, समस्त,निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, **9.** मुरादखाँ पुत्र सलीमखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—छापरीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, **10.** रामसिंह पुत्र नन्दसिंह, **11.** श्रवणसिंह पुत्र नन्दसिंह, **12.** उच्छबकँवर पत्नी नन्दसिंह, **13.** धनसिंह पुत्र श्यामसिंह जरिये कुदरती वलिया माता संजूकँवर पत्नी श्यामसिंह, **14.** सन्जुकँवर पत्नी श्यामसिंह, **15.** खड़सिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, **16.** शिम्भुसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, **17.** केशरसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, **18.** नथुकँवर पत्नी हनुवन्तसिंह, **19.** नन्दुकँवर पुत्री हनुवन्तसिंह, **20.** मदनसिंह पुत्र मूलसिंह, **21.** सदाकँवर पत्नी हरिसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, **22.** तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

दिनॉक 24.01.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, वकील, वादीगण व श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, प्रतिवादी संख्या 20 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर मौजा डाबड़ा के खेत खसरा संख्या 265 रकबा 15.07 बीघा व खसरा नम्बर 309 रकबा 52 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार भूमि का पक्षकारान् को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.01.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 15/3/18

नोट:- खसरा नं. 309// रकबा 08 बिस्वा खसरा नं. 265 व 309 के साथ पढ़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner